



क्रमांक / 2053 / मु.चि.अ. / स्था / एन.एच.एम. / भर्ती / 2023

सुकमा, दिनांक 31/08/2023

—:: विज्ञापन ::—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती हेतु मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर के आदेश क्रमांक/NHM/HR/2023/NS-425/387-A नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11/05/2023 के परिपालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एन.एच.एम. छ0ग0 मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संविदा भर्ती किया जाना है। जिसके लिए विज्ञापन प्रकाशन दिनांक 31/08/2023 से दिनांक 14/09/2023 सायं 05.00 बजे तक आवेदन कार्यालय में रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट (डाक) के माध्यम से आमंत्रित है, उक्त दिनांक एवं समय के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। पदों का पदवार विस्तृत विवरण निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं।

रिक्त पद, संविदा वेतन एवं योग्यता

| S.N | Post Name | Salary | No Of Vacant Post | Essential Educational Qualification | Desirable |
|-----|-----------------------------------|---------|--|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) | 16500/- | Total Post -30 OBC-01 UR-03 ST-26 | मान्यता प्राप्त विश्वद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.sc. Nursing Certificate in community Helth Integrated Course) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ पोस्ट सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post B.sc. Nursing Certificate in comunity Helth Integrated Course) | |

—:: चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश ::—

1. आवेदन पत्र के संबंध में:-

- 1.1. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.पी.एल (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी।
- 1.2. आवेदक समाचार पत्र तथा जिले के वेबसाईट में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर जिले के वेबसाईट www.sukma.gov.in में विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं।
- 1.3. निर्धारित आवेदन प्रारूप में अंतिम तिथि तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (कलेक्टर परिसर) सुकमा जिला सुकमा पिन कोड 494111 में आवेदन रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट (डाक) के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 1.4. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हतायें पूर्ण करना आवश्यक है। अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकार्य कर दिया जायेगा तथा उक्त संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- 1.5. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित एक-एक प्रति संलग्न करना आवश्यक है तथा लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम/श्रेणी अंकित करना अनिवार्य है अन्यथा कि स्थिति में अपात्र सूची में रखा जावेगा।
- 1.6. विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में बाद की तिथि में प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- 1.7. ऐसे अभ्यर्थी जो मान्यता प्राप्त विश्वद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (B.sc. Nursing Certificate in community Helth Integrated Course) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ पोस्ट सम्मिलित बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम (Post B.sc. Nursing Certificate in community Helth Integrated Course) उत्तीर्ण हो उन्हें विज्ञापन में संलग्न **Appendix-I** अनुसार **Integrated Course** उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 1.8. दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को अपात्र माना जावेगा।

2. आयु सीमा :-

- 2.1 01 जनवरी 2023 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानिय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष छूट प्रदान किया जावेगा। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश/नियम (यथासंशोधित) लागू होंगे, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. चयनित अभ्यर्थियों के लिए मानदेय एवं अन्य सुविधाएँ :-

- 3.1 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (संविदा) के रूप में कार्य करने के दौरान प्रतिमाह राशि रु. 16500/- (अक्षरी रुपये सोलह हजार पांच सौ मात्र) वेतन एकमुस्त एवं साथ में कार्य-प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि (Preformance Based Incentive) प्रतिमाह अधिकतम राशि रु 15000/- तक दी जायेगी। इस संबंध में मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

4. आवेदन शुल्क :-

- 4.1. आवेदन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :-

| वर्ग | मानदेय प्रतिमाह \leq 25000 | मानदेय प्रतिमाह \geq 25000 |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| विकलांग/अ.जा./अ.ज.जा./महिला | रु. 100=00 | रु. 200=00 |
| अपिव | रु. 200=00 | रु. 300=00 |
| अनारक्षित | रु. 300=00 | रु. 400=00 |

- 3.2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के आदेश क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./2019/329/611 अटल नगर रायपुर दिनांक 03/03/2019 के तहत संशोधित आदेशानुसार आवेदन शुल्क जिला स्वास्थ्य समिति के खाता नाम **DISTRICT HEALTH SOCIETY SUKMA NRHM FUND** खाता क्रमांक **32286771242** SBI Sukma IFSC Code SBIN0002894 में फोन पे, गुगल पे, पेटीएम या स्वयं बैंक में जमा कर पावती आवेदन पत्र में संलग्न करने पर ही आवेदन मान्य होगा बिना आवेदन शुल्क के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 3.3 डी.डी. स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. भर्ती प्रक्रिया :-

- 4.1 प्राप्त आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्कूटनी उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, कौशल/दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलावा, चयन सूची एवं अन्य सूचना तथा निर्देश का प्रकाशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के सूचना पटल एवं जिले के बेवसाईट www.sukma.gov.in में चस्पा/प्रसारित की जायेगी। अन्य किसी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी समय समय पर नियमित रूप से जिले के बेवसाईट www.sukma.gov.in का अवलोकन करते रहें।
- 4.2 आवेदको को छ.ग. का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 4.3 जाति के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 4.4 प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार/चयन हेतु आमंत्रित किया जावेगा-

| क्र. | कुल विज्ञापित पदों की संख्या | कौशल परीक्षा/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या |
|------|------------------------------|---|
| 1 | 1 से 10 | कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना |
| 2 | 11 से 50 | कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना |
| 3 | 50 से अधिक | कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 03 गुना |

4.6 दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है :-

1. दसवीं एवं बारहवीं की अंकसूची
2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी वर्षों का)
3. तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
4. अनुभव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र
5. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन
6. संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
8. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
9. विकलांग प्रमाण पत्र
10. भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रमाण पत्र
11. अनुभव प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र (केवल शासकीय संस्था/उपक्रम/निगम मण्डल का नियोक्ता द्वारा प्रदाय अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा, न्यूनतम एक वर्ष या अधिक अवधि का अनुभव मान्य होगा।
12. वैध मूल पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आई.डी./झाईविंग लायसेंस एवं अन्य वैध पहचान पत्र)
13. 01 पासपोर्ट साईज फोटो

6. अन्य संबंधित दस्तावेज। लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य/चयन सूची :-

- 5.1 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु निर्धारित कुल अंकों का 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जावेगा।
- 5.2 निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों में से रिक्तियों के अधार पर पात्र अपात्र सूची का निर्धारण कर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन/परीक्षा/चयन तथा साक्षात्कार आहूत किया जावेगा।
- 5.3 अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। अनुभव प्रतिवर्ष के मान से 02 अंक तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 03 अंक अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रदान किया जावेगा। प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेंगे। किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेज के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।

7. अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी :-

- 6.1 शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का प्रतिशत का - 65 प्रतिशत अंक ।
- 6.2 उपरोक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर मेरिट सूची अनुसार अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (20 अंक) अनुसार सूची तैयार की जावेगी।


8. प्रतीक्षा सूची :-

उक्त पद के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले समान पद समान योग्यता पदों को भी इसी सूची से भरा जा सकेगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत समान पद समान योग्यता के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।

भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें :-

- 9.1. विज्ञापित पदों की संख्या में बैकलॉग पद शामिल है एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- 9.2. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जायेगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र/प्रमाण या अन्य त्रुटि दोनों पक्षों से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- 9.3. समान अंक प्राप्त होने की दशा में मूल शैक्षणिक योग्यता एवं जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी, उसके अनुसार वरीयता में उच्च क्रम पर रखा जावेगा। विज्ञापन अनुरूप शैक्षणिक (Qualification) योग्यता के क्रम संख्या के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी।
- 9.4. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिये।
- 9.5. संविदा मानदेय :- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
- 9.6. पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्णय से पदों के मानदेय में परिवर्तन संभावित है।
- 9.7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषप्रद होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे। भारत सरकार द्वारा प्राप्त आर.ओ.पी. में स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।
- 9.8. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थिति होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्यागपत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है।
- 9.9. संविदा भर्ती में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
- 9.10. संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्तें एवं नियम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार लागू होंगे।
- 9.11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 9.12. उक्त संविदा पद अस्थानांतरित होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- 9.13. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- 9.14. विशेष आरक्षण अहर्ता रखने वाले (विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/महिला आरक्षण नियमानुसार होगी) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
- 9.15. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
- 9.16. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निरपेक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- 9.17. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हों, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- 9.18. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

- 9.19. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।
- 9.20. आवेदन साक्षात्कार/कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा के समय अपना आवेदन के साथ निर्धारित समय से 2.00 घन्टा पहले अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन हेतु उपस्थित रहेंगे।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला - सुकमा (छ0ग0)

[Format for Certification from Principal for Applying for CHO, NHM, CG]

[For Candidates who shall be passed in Final Examination of B.Sc. (Nursing)/Post Basic BSc (Nursing) along with integrated Certificate course in Community Health (CCH)]

College Letter Head

Certificate

This is to certify that Mr./Ms./Mrs.
University enrollment numberSon/daughter/Wife
ofis a passed student of B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc.
Nursing course with integrated curriculum of Certificate in
Community Health as per notification of University. He/She is due to
passed in final examination of the course.

Dated:

Authorized Signatory

Signature With Seal



आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटो

आवेदित पद का नाम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एवं पद क्रमांक.....

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला सुकमा (छ0ग0)

1. आवेदक का नाम हिन्दी में :-
2. (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) :-
3. पिता/पति का नाम :-
4. माता का नाम :-
5. जन्म तिथि अंको में :-(शब्दों में).....
6. दिनांक 01.01.2023 को आयु :- वर्ष..... माहदिन.....
7. लिंग (पुरुष/महिला/अन्य) :-
8. जाति (सामान्य/अनु.जाति/जनजाति/अ.पि.वर्ग) :-
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करे)
9. छ.ग. का स्थनीय है या नहीं :-
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करे)
10. क्या आप विकलांग श्रेणी में है (हां/नहीं)
(विकलांगता का प्रतिशत एवं प्रकार)
11. भूतपूर्व सैनिक हां/नहीं :-
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करे)
12. स्थायी निवास का पता :-
13. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :-
- मोबाईल /दूरभाष न.....
14. रोजगार कार्यालय का नाम :-
जीवित पंजीयन क्रमांक/दिनांक :-
15. वर्तमान एवं पूर्व नौकरी का विवरण यदि हो तो, अनुभव का विवरण यदि हो तो
:-
16. क्या आप विवाहित है (हाँ/नहीं)
17. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता :-.....

(सत्यापित प्रमाणपत्र) संलग्न करें

| क्र० | परीक्षा का नाम | बोर्ड/वि.वि.का नाम | परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष | उत्तीर्ण परीक्षा के सभी का पूर्णांक | उत्तीर्ण परीक्षा के सभी का प्राप्तांक | प्रतिशत |
|------|----------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

18. आवेदन शुल्क फोन पे, गुगल पे, पेटीएम या स्वयं बैंक में जमा Transaction ID

19. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची:-

- 1 दसवीं/बारहवीं की अंकसूची
- 2 शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची सभी वर्षों का
- 3 तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
- 4 अनुभव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र
- 5 रोजगार पंजीयन
- 6 संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र
- 7 जाति प्रमाण पत्र
- 8 मूल निवास प्रमाण पत्र
- 9 विकलॉग प्रमाण पत्र
- 10 भूतपूर्व सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित प्रमाण पत्र
- 11 अन्य आवश्यक दस्तावेज।

घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता /करती हूँ कि ऊपर वर्णित जानकारी पूर्णतः सत्य हैं कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा/मेरी चयन निरस्त करने एवं मेरे विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ता०

स्थान

नाम.....

पता

मोबा. न०.....